

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./10902

सूरजपुर, दिनांक/15 /12 /2023

प्रति

निदेशक,

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीपत रोड़ बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 in Favour of M/s Prakash Industries Limited for Non- Forestry use of 515.581 hac. (201.806 hac for Underground Mining) of forest land for Coal mining in Bhaskarpara Coal block under Surajpur District of Chhattisgarh State (Online Proposal - FP/CG/MIN/149564/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली का पत्र

क्रमांक/8-09/2023-FC दिनांक 21.08.2023

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु सूरजपुर जिले में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र कुदरगढ अन्तर्गत आने वाले संरक्षित वनभूमि 113.246 हे., नारंगी वनक्षेत्र 35.549 हे. तथा ग्राम राजस्व वनभूमि 366.786 हे. कुल वनभूमि रकबा 515.581 हे. क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य हेतु का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली द्वारा जारी की गयी है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की गणना प्रतिवेदन सूरजपुर वनमण्डल में प्रभावित कुल वनभूमि 515.581 हे. में से खुली खदान हेतु कुल रकबा 313.775 हे. की गणना कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा. चि./1944 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.151/2023/7079 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक का अनुमोदन किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय FC Division नई दिल्ली के अधिरोपित शर्त क्रमांक-xii के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले प्रभावित कुल वनभूमि 515.581 हे. में से खुली खदान हेतु कुल रकबा 313.775 हे. के प्रत्याशा मूल्य की राशि रु0 232464855=00 (तेईस करोड चौबीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ पचपन रूपयें) जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	232464855.00
योग :-		232464855.00

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त भुगतान CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई-चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट <http://parivesh.nic.in> द्वारा किया जाना है। ई-चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट में ई-चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित कुल वनभूमि 515.581 हे. में से खुली खदान हेतु कुल रकबा 313.775 हे. के प्रत्याशा मूल्य की राशि **रु0 232464855=00 (तेईस करोड चौबीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ पचपन रूपयें)** मात्र का भुगतान CAMPA खाता में ई-चालान के माध्यम से जमा कर ई-चालान की कॉपी एवं प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र सहित इस कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें।



वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./10903

सूरजपुर, दिनांक/15 /12 /2023

- प्रतिलिपि:-**
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर